इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233] भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 जून 2015—ज्येष्ठ 25, शक 1937

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2015

क्र. एफ-12-9-2015-4-पच्चीस.—मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में जरुरतमंद अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को तात्कालिक राहत स्वीकृत करने के लिये मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आदिवासी राहत योजना नियम, 1979 (यथा संशोधित) में अनुसूचित जातियों से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार नियम बनाता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ—

(1) ये नियम ''मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति राहत योजना नियम, 2015 कहलायेंगे.
(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा.
(3) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे.

2. परिभाषायें—इन नियमों में संदर्भित परिभाषायें निम्नांकित होंगी—

(एक) ''राज्य शासन'' से आशय मध्यप्रदेश शासन से है;
(दो) ''विभागाध्यक्ष'' से आशय अनुसूचित जाति विकास से है;
(तीन) ''कलेक्टर'' से आशय मध्यप्रदेश के यथा उल्लेखित जिले के कलेक्टर से है;
(चार) ''जिला अधिकारी'' से आशय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से है;
(पांच) ''अनुसूचित जाति'' से आशय संविधान के अनुच्छेद 341 में इस राज्य के लिये परिभाषित ''अनुसूचित जाति'' से है;
(छह) ''राहत'' से अभिप्राय नियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा जरुरतमंद अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अथवा अनुसूचित जाति परिवार के लिये स्वीकृत नगद आर्थिक सहायता से है. यह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं मानी जायेगी और यह अधिकार के रूप में स्वीकृत नहीं की जा सकेगी.

3. **उद्देश्य**— अनुसूचित जाति राहत योजना का उद्देश्य ऐसे जरुरतमंद अनुसूचित जाति के व्यक्ति अथवा अनुसूचित जाति परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाना है, जो अपनी निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में हैं. जिन्हें तत्संबंधी जरुरत पूरी करने के लिये शासन की किसी योजना से अथवा अन्य किसी स्त्रोत से शीघ्र आर्थिक सहायता मिलने की संभावना न हो. किसी भी प्रार्थी को यह राहत उसी परिस्थिति में स्वीकृत की जायेगी जब स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को यह विश्वास हो जायेगा कि प्रकरण में राहत स्वीकृत करना नितांत आवश्यक है और प्रार्थी को ऐसा कोई दूसरा वित्तीय स्त्रोत उपलब्ध नहीं है, जिससे कि उसे संकटापन्न स्थिति में तुरंत आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके.

4. **पात्रता**— अनुसूचित जाति वर्ग के निम्नांकित सदस्यों/परिवारों को राहत प्राप्त करने की पात्रता रहेगी—

(1) नि:शक्तजन जो कि जीविकोपार्जन में असमर्थ है तथा निराश्रित वृद्ध और ऐसा बीमार जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो.

(2) ऐसा व्यक्ति जो कि रोजनदारी, खेतीहर मजदूरी अथवा कोई छोटा रोजगार करता था और जो किसी दुर्घटना अथवा दैवीय प्रकोप के कारण लंबे समय के लिये काम करने में असमर्थ हो तथा उसके परिवार की आजीविका का दूसरा कोई साधन न हो.

(3) ऐसा परिवार, जिसके एक मात्र मुखिया का निधन हो गया हो और परिवार के भरण पोषण की तत्काल कोई व्यवस्था न हो पा रही हो.

5. **आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**—आवेदक राहत प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र कलेक्टर कार्यालय/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास में लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा. आवेदन-पत्र में प्रार्थी अपना पूरा नाम, पूरा पता, जाति लिखेगा और स्पष्ट रूप से यह बतायेगा कि उसे राहत की क्यों आवश्यकता है. उसके आवेदन-पत्र पर ग्राम पंचायत के सरपंच जनपद/अध्यक्ष/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/क्षेत्रीय विधायक/संसद सदस्य में से किसी एक के द्वारा यह तस्दीक होना आवश्यक है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य है, और उसे आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के लिये राहत की तुरंत आवश्यकता है.

6. **आवेदन-पत्र के परीक्षण की प्रक्रिया**—

(1) जिन प्रकरणों में राहत स्वीकृत करने के लिये विभागीय जिला अधिकारी प्राधिकृत है, उससे संबंधित आवेदन-पत्र की परीक्षण जिला कार्यालय द्वारा ही कराया जावेगा.

(2) जिन प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा राहत स्वीकृत की जाना है, उनसे संबंधित आवेदन-पत्र सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा परीक्षण कर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे.

7. **योजना के अंतर्गत राहत की पात्रता—**

(क) श्रेणी के प्रकरण—सम्पत्ति की हानि—

क्रमांक (1)	विवरण (2)	देय राहत (3)
1	मकान जला दिया जाना	अधिकतम रु. 15,000/- तक.
2	ऐसी चल सम्पत्ति का नुकसान जो आजीविका का आधार हो जैसे कि नांव, गाड़ी/वाहन तथा पशु आदि.	(1) सम्पत्ति को पुन: जुटाने के लिये आवश्यक राशि (जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे) परन्तु तात्कालिक राहत के तौर पर रु. 5000/- तक की राशि.
	(2) अन्य प्रकार की चल संपत्ति का नुकसान जैसे कि अनाज, कपड़े, घरेलू सामान आदि.	(2) रु. 5000/- तक (जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे).
3	कुओं, टयूबवेल, बिजली मोटर, फलदार वृक्ष एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का नुकसान.	सम्पत्ति को पुन: जुटाने के लिये आवश्यक राशि (जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे) परन्तु तात्कालिक राहत के तौर पर रु. 5000/- तक की राशि.

1. ''ख'' श्रेणी के अन्य संकटापन्न स्थितियों के प्रकरणों में निम्नलिखित प्रावधान किये जाते हैं—

(I) परिवार के मुखिया का आकस्मिक निधन होने पर चाहे स्त्री हो या पुरूष बिना लिंग भेद के परिवार के पालक को यदि परिवार में कोई सहारा देने वाला न हो तो तत्कालिक सहायता राशि 10,000/- रुपये.

(II) आकस्मिक दुर्घटना हो जाने से पीड़ित को तत्कालिक सहायता राशि 5000/- रुपये.

(III) गरीबी रेखा के नीचे के किसी सदस्य के आकस्मिक निधन हो जाने पर अंतिम संस्कार हेतु सहायता राशि 5000/- रुपये.

(IV) अपाहिज, निराश्रित, वृद्ध, दृष्टि बाधित तथा अति संकटापन्न व्यक्तियों के प्रकरण में न्यूनतम राहत राशि 2000/- तथा अधिकतम राहत रशि 15,000/- रुपये तक होगी इसका निर्धारण सक्षम अधिकारी अपने वित्तीय अधिकारों की सीमा के अंदर करेंगे.

2. राहत स्वीकृति के अधिकार निम्नानुसार होंगे—

(I) संभागीय आयुक्त/आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास राशि 15,000/- रुपये तक.

(II) संबंधित जिला कलेक्टर/एस.डी.एस.-राशि 10,000/- रुपये तक.

(III) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग-राशि रुपये 5000/- रुपये तक.

3. उपरोक्त संशोधन और नये नियम अनुसूचित जाति वर्ग के लिये ही प्रभावशील होंगे.

4. यदि पीड़ित या प्रभावित या संकटापन्न व्यक्ति को अन्य स्त्रोतों से भी सहायता प्राप्त हो तो संबंधित व्यक्ति जिस स्त्रोत से अधिक राहत राशि प्राप्त हो वहां से राहत ले सकता है अर्थात् एक ही स्त्रोत से राहत राशि की पात्रता होगी.

योजना में लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा. योजना में एक वर्ष में अधिकतम व्यय 1.00 करोड़ तक का ही प्रावधान किया जायेगा.

8. योजना में होने वाला व्यय निम्नलिखित शीर्ष से विकलनीय होगा—''मांग संख्या 64, मुख्य शीर्ष 2225—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800) अन्य व्यय 0103—अनुसूचित जाति उपयोजना, (4719) अनुसूचित जातियों के लिये सहायता योजना, 42—सहायक अनुदान 077—अन्य''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.